FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुरली बनाम अशोक कुमार वगै0

किस्म मुकदमा:– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा   मुकदमा नम्बर– 16 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16.02.2023	प्रार्थी वकील श्री विक्रम सिंह बाकांवत एड. ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की मद संख्या 1 में अंकित खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री गिरीराज शर्मा एड0 ने एक कैवियट प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। कैवियट पेशकर्त्ता अधिवक्ता की तलबी जरिये सम्मन मय नकल जारी की जावें। वकील प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन पर अप्रार्थीगण व कैवियट पेशकर्त्ता अधिवक्ता की तलबी जरिये नोटिस मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 20.02.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
4-4-23	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24-4-23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
06.04.2023	वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली [illegible] 24.04.2023 से पूर्व तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी मय [illegible] उपस्थित होकर न्यायालय मे विचाराधी[illegible] को प्रार्थी स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र [illegible] इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज [illegible] दिये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी मय पक्षकार के नि[illegible] पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 06/04/23 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.18 17:25:12 IST
Reason: SelfAttested